

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-553/2023)/अलेसे-III/546

दिनांक:- 04/02/26

कार्यालय आदेश

सुश्री रेणु बेड़ा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.- 773562 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर को राजस्थान सेवा नियम (खण्ड-प्रथम) के नियम-96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर) स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 06.01.2026 से 15.01.2026 तक (कुल 10 दिवस)

उक्त 10 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री रेणु बेड़ा, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-553/2023)/अलेसे-III/546

दिनांक:- 04/02/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 सुश्री रेणु बेड़ा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.- 773562 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।
- 4 संयुक्त निदेशक (आईटी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)